

पत्रिका सं. 1055 [10/7/2019]

आयुक्त अ.क. - 1055

प्रश्न सं. [क. 1055]

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त मध्य प्रदेश

क्रमांक 1195 / 11 भू. प्र. / मा. चि. शा. / म. टो. / 2012  
प्रति,

अधीक्षक भू-अभिलेख,  
भू-अभिलेख शाखा  
कलेक्टर जिला- अनूपपुर  
(म. प्र.)

ग्यालियर दिनांक 14/6/2012  
कलेक्टर अनूपपुर  
क्रमांक 20 JUN 2012  
दिनांक  
SLR  
कलेक्टर  
जिला- अनूपपुर

TL 2260

विषय- माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा क्र. ए 0969 मजरे टोलों को राजस्व ग्राम घोषित करने यावत् ।  
संदर्भ- (1) प्रमुख सचिव म. प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल का समस्त कलेक्टरों को सम्बोधित तथा इस कार्यालय को पृष्ठांकित पत्र क्र. एफ 11-1/2010/सात-शा.6 भोपाल दिनांक 8 जुलाई 2011.  
(2) इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 781/11 भू. प्र. / मा. चि. शा. / म. टो. / 2012 ग्यालियर दिनांक 16.4.2012.

उपर्युक्त विषय पर संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें । विषयान्तर्गत लेख है कि कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त ग्यालियर में अधीक्षक भू-अभिलेख अधिकारियों की दिनांक 2.6.2012 को आयोजित की गई बैठक में मान. आयुक्त महोदय द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि भू-राजस्व संहिता के विहित प्रावधानों का अनुपालन करते हुए, ऐसे मजरे टोलों को चिन्हांकित करें, जिन्हें राजस्व ग्राम में परिवर्तित किया जा सकता है ।

- अतः मजरे टोलों को राजस्व ग्राम में परिवर्तन के लिये निम्नांकित मापदण्ड अपनाये जावें :-
- (अ) मूल राजस्व ग्राम से मजरे टोलों की दूरी लगभग 2 कि.मी. या अधिक होनी चाहिये ।
  - (ब) प्रथक बनाये जा रहे राजस्व ग्राम का क्षेत्रफल 200 एकड़ से कम न हो, तथा पृथक हुए उक्त ग्राम की आबादी 200 या अधिक होनी चाहिये ।
  - (स) प्रथक बनाये जा रहे, राजस्व ग्राम की चतुर्सीमायें मूल ग्राम से एवं अन्य सीमावर्ती ग्रामों से मिलनी चाहिये, मजरे टोलों से पृथक बनाये जा रहे राजस्व ग्राम की सीमायें मूल ग्राम की सीमाओं के अन्दर ही स्थित न रहे ।

अतः उपरोक्त अ. ब. स के मापदण्डों एवं म. प्र. भू-राजस्व संहिता में विहित प्रावधानों को दृष्टीगत रखते हुए जिले में, मजरे टोलों को राजस्व ग्राम बनाये जाने हेतु चिन्हांकित कर सूची, एवं सृजित किये जा रहे, नवीन राजस्व ग्रामों के मानचित्रों की प्रति, के साथ, औचित्यपूर्ण प्रस्ताव निर्देशानुसार 15 से 20 दिवस के अन्दर प्राथमिकता देकर तैयार कर इस कार्यालय को भिजवायें ।

मजरे टोलों से बनाये जाने वाले नवीन राजस्व ग्रामों के प्रस्ताव, चिन्हांकित मजरे टोलों की नामवार सूची, मानचित्र, सुस्पष्ट हों, इस तथ्य का विशेषतः ध्यान रखे जाने बावत आदेशित किया जाता है ।

संयुक्त आयुक्त  
भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त  
मध्य प्रदेश

400  
21/6/12

ASLR 25-6-12

10/1  
26.6.12